	स्वत्व अपील संख्या–14/07–466/14
26. 03. 14	उभय पक्ष की हाजिरी है। मुकदमा आज मेरे समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता की ओर से दिनांक 07.05.13 को सी.पी.सी. के आदेश–6 नियम–17 एवं धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन वादपत्र में संशोधन हेतु दिया गया है। जिसमें उनका मुख्य रूप से कथन है कि दिनांक 06.03.13 को जब प्रत्यर्थीगण द्वारा एक आवेदन दिया गया कि गंगाजली कुअर ने खाता संख्या 11 प्लाट संख्या 1501 रकवा 49 डिसमिल पंजिकृत केवाला द्वारा दिनांक 18.04.1980 को पीर मुहम्मद के पक्ष में केवाला कर दिया है। तब उसे उक्त अंतरण की जानकारी हुयी। तब उसने समुचित रूप से कागजातों का जांच कराया। तब उसे आर.एस. प्लाट संख्या 153 संबंधित सी.एस. प्लाट संख्या 98, आर.एस. प्लाट संख्या 684 संबंधित सी.एस. प्लाट संख्या 713 एवं आर.एस. प्लाट संख्या 1501 संबंधित सी.एस. प्लाट संख्या 922 तथा आर.एस. खाता संख्या 11 संबंधित सी.एस. खाता संख्या 25 स्थित ग्राम– बेलौरी थाना नं0– 544 के संबंध में उसे जानकारी हुयी। तब उसे पता चला कि सी.एस. खाता संख्या 25 शिवदेनी रामलोचन दो अंश एवं रामप्रसाद, रामदेनी एवं नारायण एक अंश के नाम से अंकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादपत्र के अनुसूचि–ख में दी गयी संपत्ति खाता संख्या–11 गलती से शामिल कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेलौरी गांव का खाता संख्या–11 जो कि वादपत्र के अनुसूचि–ख गंगाजली कुअर के नाम में अंकित है। ऐसा कोई अभिवचन या बयान वादपत्र में नहीं कहा गया है। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आर0एस0 खाता संख्या–11 के प्लाट संख्या– 153,684 एवं 1501 जिसका विवरण अनुसूचि–ख में दिया गया है। उसे विलोपित करने तथा उस पर से अपना अधिकार समाप्त करने तथा प्लाट संख्या– 1499 संबंधित खाता संख्या– 433 को विलोपित करने तथा उनके स्थान पर खाता संख्या– 439 रकवा 32 डिसमिल एवं प्लाट संख्या 730 रकवा 1.08 एकड अंतर्गत खाता संख्या 23 अनुसूचि–ख में प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन आवेदन दिया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलकर्ता के उपरोक्त संशोधन

	आवेदन का विरोध करते हुए उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। जिसमें उनका मुख्य रूप से कथन है कि अपीलकर्ता द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 07.05.13 विधितः एवं तथ्यतः पोषणीय नहीं है। उक्त मुकदमें में उभय पक्ष का बहस हो चुका है। अभिलेख जबावी बहस के लिये चल रहा है। अपीलकर्ता द्वारा वादपत्र में गंगाजली कुअर को सिर्फ मेंटिनेंस होल्डर कहा गया है। अपीलकर्ता द्वारा खाता संख्या 25 का पुराना एवं नया नक्शा दाखिल नहीं किया गया हैं हाल सर्वे में उसके द्वारा खाता संख्या 11 पर भी दावा पेश किया गया है। जो स्वतः साबित करता है कि गंगाजली कुअर को भी वादी के साथ एराजी तकरारी पर स्वत्व एवं हकियत एवं दखल कब्जा प्राप्त था। प्रस्तावित संशोधन द्वारा अपीलकर्ता अपने स्वीकारोक्ति को वापस लेना चाहता है। जो कि लिंगर करने हेतु दाखिल किया गया है। वर्णित एराजी का ज्यादातर अंश अपीलकर्तागण एवं उनके पिता हरिवंश एवं गंगाजली कुअर द्वारा बेचा जा चुका है। वे सभी पक्षकार भी नहीं है। अंततः प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलकर्ता के संशोधन आवेदन दिनांक 07.05.13 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उभय पक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील 2007 ई0 का है। जब कि मुल मुकदमा हकियत वाद संख्या 90/95 यानि सन् 1995 का है। अठारह वर्षो से अपीलकर्ता ने कोई संशोधन आवेदन नहीं दिया। जब कि सी0पी0सी0 के आदेश–6 नियम–17 के मुताविक पक्षकार कोई भी संशोधन विचारण आरंभ होने के पहले तक कर सकती है। उसके बाद किसी पक्षकार द्वारा संशोधन तभी स्वीकार किया जायेगा जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पक्षकार सम्यक तर्त्परता के बावजूद विचारण शुरू होने के पूर्व तक पक्षकार को जानकारी नहीं मिल सकी थी। इस संबंध में प्रत्यर्थी की तरफ से पी.एल. जे.आर. 2006(4) पेज– 75 दाखिल किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सी0पी0सी0 के आदेश–6 नियम–17 के अंतर्गत संशोधन अपील के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। जब तक कि पक्षकार यह साबित नहीं कर दे कि वे उस

	तथ्य को विचारण शुरू होने के पहले तक सम्यक तर्त्परता के बावजूद मैटर को नहीं उठा सके। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल सभी विनिश्चय या तो नये संशोधन के पूर्व के है अथवा वे इस मुकदमें में लागू नहीं होते है। यह मुकदमा अपील में 06 वर्षो से चल रहा है जिसमें ज्यादतर सुनवाई हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं अपीलकर्ता का संशोधन आवेदन स्वीकृत करना उचित नहीं समक्षता हूं। अतः उसका संशोधन आवेदन दिनांक 07.05.13 अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख दिनांक.19.04.14.को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित त0अ0स0न्या0, प्रथम